

CG 05 EXPO

Sound, Lights, Tent & Audiovisual

Dhamtari Chhattisgarh

दिनांक

मेसर्स..... मोबाइल.....
फर्म कांउटर संख्या

नियम शर्ते-

- 01) काउंटर बुकिंग की राशि का भुगतान बुकिंग करते समय पूरा करना है तभी बुकिंग कन्फर्म मानी जायेगी। यदि कुछ राशि बकाया रखते हैं तो उस स्थिति में बाकी की राशि जमा होने के बाद ही बुकिंग कन्फर्म मानी जाएगी बकाया राशि 02 दिनों के अंदर विलयर करें।
- 02) काउंटर बुकिंग होने के बाद कैंसल करने पर राशि वापस नहीं होगा इसलिए सोच विचार कर करें।
- 03) बुकिंग राशि चेक नगद या ऑनलाइन किसी भी तरह से कर सकते हैं।
- 04) काउंटर बुकिंग के लिये आयोजक द्वारा दिये गये मोबाइल नं. पर ही सम्पर्क करें। किसी अन्य से बात ना करें इस बात ख्याल रखें सिर्फ EXPO टीम से ही संपर्क करें।
- 05) काउंटर की कीमत बहुत ही सोच समझकर तय की गई है इसलिये मोल भाव कर अपना और आयोजक का समय खराब ना करें।
- 06) एक बार आपका समान आपके काउंटर तक पहुंच जाये उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ही आउटडोर बेरीगेट खुलेगी। बीच में कोई भी बेरीगेट खोलने की चेष्टा न करें।
- 07) सामने की काउंटर की राशि इस बार बढ़ाकर रखी गई है जिसे सामने का काउंटर लेना हो उसे एक साथ 04 काउंटर लेना अनिवार्य है।
- 08) क्र. 06 का नियम आउटडोर में भी लागू होगा।
- 09) व्यापारी अपने समान की जवाबदारी आपके स्वयं की होगी। किसी भी किसम की समस्या होने पर आपके लिये CCTV कैमरा की सुविधा है।
- 10) हाल के अंदर परिसर में शोर न करें हाल के अंदर का परिसर साइलेन्ट जोन रहेगा।
- 11) नार्मल विद्युत व्यवस्था आयोजक द्वारा की जाएगी एवं शारपी एवं आउटडोर साऊंड सिस्टम हेतु जनरेटर की व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी।
- 12) कोई भी व्यापारी अपने काउंटर के दायरे के बाहर किसी भी किसम का समान न फैलाएं।
- 13) आउटडोर के सिस्टम में पार दर्शिता हेतु जो भी समान लगता है। उसका विवरण। (टाप, बेस, लाइनएर स्पीकर हाइड्रो मीड एम्पलीफायर क्रास ओवर आदि अन्य समान की विस्तृत जानकारी स्टेडी में लिखा होना अनिवार्य है ये आपको स्वयं लाना है।)
- 14) जो व्यापारी आउटडोर पर काउंटर ले रहे हैं हैं उन्हें इन्डोर काउंटर लेना अनिवार्य है एवं अपने नाम पे काउंटर पे किसी अन्य व्यापारी को जगह नहीं देना है।
- 15) आउटडोर के एक व्यापारी को एक ही काउंटर मिलेगा। आउटडोर की समय सीमा को देखते हुये काउंटर घटाई गई है।
- 16) प्रति काउंटर 03 व्यक्ति हेतु भोजन की व्यवस्था पार्सल स्वरूप की गई है, सभी व्यापारी बन्धु सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे।
- 17) व्यापारी अपने जितने सहायक कर्मचारी लाएंगे उनका पूरा ब्योरा बुकिंग करते समय ही आयोजक समिति दें।
- 18) प्रति काउंटर तीन टेबल, पांच कुर्सी, एक राउंड टेबल आयोजक समिति द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप अपने काउंटर की सजावट अपने अनुकूल कर सकते हैं परंतु इसकी जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।
- 19) किसी भी प्राकृतिक आपदा या मौसम के खराब होने पर कार्यक्रम रद्द होने की स्थिति पर आयोजक भी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 20) समिति द्वारा दिये गये निर्देश का पूर्ण रूप से पालन करें कुछ नियम आयोजक समिति परिस्थिति के अनुसार बदलाव कर सकती है।

आऊटडोर नियम:-

- 1) दिनांक 02 अगस्त 2024 को आप अपना आउटडोर सिस्टम शाम 07 बजे तक संपूर्ण रूप से चेक कर के बंद कर देवें।
- 2) दिनांक 02 अगस्त 2024 को शाम 07 बजे के बाद दिनांक 03 अगस्त 2024 तक आपको किसी भी प्रकार का साऊंड चेरने नहीं दिया जायेगा आपको केवल समिति द्वारा जो समय दिया जाएगा उसी में आपको अपना सिस्टम चालू करना होगा।
- 3) आउटडोर पर 12 बेस के साथ 08 सिंगल लाइनएर या 6 ड्रुवल लाइनएर इससे ज्यादा सिस्टम नहीं लगाना है।

उपरोक्त नियम एवं शर्ते मुझे मंजुर है। व्यापारी गेट पास के लिये बिल दें।